



UPFD010013022019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
 उपस्थितइफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
 विशेष सत्र वाद सं० 573/2019

राज्यअभियोजनपक्ष

बनाम

प्रेमवीर यादव पुत्र जगदीश यादव, निवासी- अलकाबाद हसनपुर, हलपुरा,
 थाना मटसैना, जिला फिरोजाबाद।

.....अभियुक्त।

धारा- 376 भा०द०सं० व

धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी०एक्ट

थाना- खैरगढ, जिला- फिरोजाबाद।

मु०अ० सं०- 105/2018

निर्णय

- उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना खैरगढ जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 105/2018 में अभियुक्त प्रेमवीर यादव के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क-10 अंतर्गत धारा 376 भा०द०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी०एक्ट के आधार पर संस्थित होकर किया गया।
- प्रस्तुत प्रकरण चूंकि धारा 376 भा०द०सं० से सम्बन्धित है, अस्तु "पीड़िता" का नाम विधिक प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए गुप्त रखा गया और उसे निर्णय में "पीड़िता" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा (Informant) राजेश पुत्र सियाराम, निवासी प्रेम नगर सैलई, थाना रामगढ, जिला फिरोजाबाद ने थाना प्रभारी निरीक्षक खैरगढ, फिरोजाबाद को लिखित प्रार्थना पत्र दिनांकित 19-09-2018 प्रदर्श क-1 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि-

"निवेदन है कि प्रार्थी राजेश पुत्र सियाराम जाटव निवासी मौ० प्रेम नगर सैलई पंचशील स्कूल वाला रोड थाना रामगढ फिरोजाबाद का निवासी हूँ। दिनांक 18-09-18 समय करीब 12.00 बजे प्रेमवीर यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी- हलपुरा, थाना मटसैना, जिला फिरोजाबाद मेरे घर पर आया जो पहले R.O. के पानी की सप्लाई करता था, जिसका मेरे घर पर आना-जाना था। मैं व मेरी पत्नी घर पर नहीं थे। घर पर मेरी पुत्री /"पीड़िता" उम्र करीब 18 वर्ष अकेली थी। प्रेमवीर उपरोक्त मेरे घर पर आया और मेरी पुत्री को अपनी भाभी से मिलाने के बहाने से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ग्राम हलपुरा कट के पास बने ट्यूबवेल पर लाया जहाँ पर उसने मेरी पुत्री/"पीड़िता" के साथ बुरा काम किया। फिर वह मेरी पुत्री को मोटरसाइकिल पर बैठाकर मेरे घर के पीछे वाली गली में छोड़कर भाग गया। जब मैं, घर पर आया तो मेरी पुत्री ने आपबीती पूरी घटना मुझे बताई जिससे मैं थाने पर रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

4. उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रदर्शक-1 के आधार पर प्रभारी निरीक्षक थाना खैरगढ़ द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 105/2018 अंतर्गत धारा 376 भा०द०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट प्रदर्शक-3 दिनांक 19-09-2018 को समय 23.50 बजे पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (GD) में तत्क्षण रपट सं० 62 के रूप में समय 23.50 बजे की गयी तथा विवेचना विवेचक को हस्तगत की गयी एवं तत्पश्चात विवेचना अग्रसारित की गयी। घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए, साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्शक-9 तैयार किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्शक-10 प्रेषित किया गया।

5. मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं अभियुक्त को आरोप के बिन्दु पर सुना गया तथा पर्याप्त आधार पाते हुए अभियुक्त प्रेमवीर यादव के विरुद्ध दिनांक 30-03-2019 को आरोप अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने समस्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

धारा 376 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने प्रश्न में महिला से लैंगिक संभोग किया;
 (ii) यह कि ऐसा कार्य धारा 375 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया गया;
 (iii) यह कि प्रवेशन हुआ था।

धारा 3(2)v अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है-

(v) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध (किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है।) वह आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा।

6. आरोपों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से निम्न साक्षियों को परीक्षित कराया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 राजेश कुमार	वादी/पिता "पीड़िता" (Informant)
2	PW-2 "पीड़िता"	"पीड़िता"/साक्षी
3	PW- 3 हेड का० 322 रोहितास कुमार	चिक लेखक
4	PW- 4 डा० शशिकान्त गुप्ता	रेडियोललाजिस्ट
5	PW- 5 डा० उपासना गुप्ता	चिकित्सीय परीक्षणकर्ता
6	PW- 6 संजय कुमार रेड्डी	प्रथम विवेचक
7	PW- 7 अजय सिंह चौहान	द्वितीय विवेचक
8	PW- 8 डा० नवीन	पैथोलोजिस्ट

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
----------	-----------------	---------

1	तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1
2	बयान "पीड़िता" अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं०	प्रदर्श क- 2
3	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	प्रदर्श क- 3
4	नकल रोजनामचा आम (G.D.)	प्रदर्श क- 4
5	एक्स-रे रिपोर्ट	प्रदर्श क- 5
6	मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट	प्रदर्श क- 6
7	मेडिकल रिपोर्ट "पीड़िता"	प्रदर्श क- 7
8	पूरक मेडिकल रिपोर्ट "पीड़िता"	प्रदर्श क- 8
9	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 9
10	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 10
11	पैथोलोजी रिपोर्ट "पीड़िता"	प्रदर्श क- 11
12	एक्स-रे प्लेट	वस्तु प्रदर्श-1
13	एक्स-रे प्लेट	वस्तु प्रदर्श- 2
14	एक्स-रे प्लेट	वस्तु प्रदर्श- 3
15	अल्ट्रासाउण्ड फोटो	वस्तु प्रदर्श- 4

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरांत अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्त ने घटना को झूठा बताया तथा साक्षियों द्वारा झूठा साक्ष्य देने का कथन किया गया। मुकदमा झूठा चलना बताया।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू० 1 राजेश कुमार को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डब्लू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 18-09-2018 की है। समय करीब 12.00 बजे दिन का है। मेरे घर पर प्रेमवीर यादव निवासी हलपुरा थाना मटसैना आया। प्रेमवीर यादव पहले आर०ओ० के पानी की सप्लाई करता था। मेरे घर पर भी पानी देता था। मैं व मेरी पत्नी घर पर नहीं थे। घर पर मेरी बेटी "पीड़िता" अकेली थी। प्रेमवीर मेरे घर आया और मेरी पुत्री को अपनी भाभी से मिलाने

के बहाने अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ग्राम हलपुरा कट के पास बने ट्यूबवेल पर लाया। तहाँ पर उसने मेरी पुत्री के साथ बुरा काम (बलात्संग) किया। उसके बाद प्रेमवीर यादव मेरी पुत्री "पीड़िता" को मेरे घर के पीछे वाली गली में छोड़कर भाग गया। शाम को जब मैं काम से अफने घर वापिस आया तो मेरी पुत्री ने मुझे घटना के बारे में बताया। घटना के सम्बन्ध में मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गया था। तहरीर मैंने विपिन कुमार पुत्र सियाराम निवासी मौ० अम्बेडकर नगर पार्क सैलई थाना रामगढ़ से बोल बोलकर लिखाई थी। जिस पर मैंने हस्ताक्षर किये थे। पत्रावली मौजूद कागज सं० 3 अ/3 तहरीर पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिस पर **प्रदर्श क-1** डाला गया। गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है, जो मैंने थाने पर दी थी। उसके बाद मैं अपनी पुत्री को लेकर पुलिस के साथ अस्पताल गया था। लेडीज पुलिस भी साथ में थी। जहाँ पर उसका डाक्टरी मुआयना हुआ था।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 2 ""पीड़िता"" को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 18-09-18 को बारह एक बजे दिन की है। मैं अपने घर पर थी। घर पर मेरी छोटी बहन दीक्षा थी। तभी मेरे घर पर प्रेमवीर यादव आया और उसने कहा कि मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अपनी भाभी से मिलवाकर लाता हूँ। मैंने उससे मना किया तो उसने कहा कि मैं पाँच मिनट बाद तुमको यहीं पर वापिस कर जाऊंगा तुम अभी मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गयी थी। वह मुझे सिक्स लेन के पास से ट्यूबवेल से वहाँ पर ले गया था। यह ट्यूबवेल हलपुरा गांव के पास में है। ट्यूबवेल पर ले जाकर उसने मेरे साथ गलत काम (बलात्संग) किया था। उसके बाद प्रेमवीर यादव मुझे मेरे घर के पीछे वाली गली में छोड़ गया था। मैंने शोर मचाया था लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था केवल खेत ही खेत थे। जब मैं घर आ गयी तो मैंने अपने पापा को सारी बात बतायी थी। मैंने न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपना बयान दिया था। उसी समय न्यायालय की आज्ञा से न्यायालय में पत्रावली पर मौजूद "पीड़िता" का बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० का सील बंद लिफाफा खोला गया। बयान "पीड़िता" को पढ़कर सुनाया गया तो "पीड़िता" ने कहा कि मैंने यह बयान धारा 164 द०प्र०सं० मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपनी मर्जी से दिया था। बयान 164 द०प्र०सं० पर अपने हस्ताक्षर व फोटो की शिनाख्त की, जिस पर **प्रदर्श क-2** डाला गया। प्रेमवीर यादव ने मेरे साथ गलत काम (बलात्संग) मेरी बिना मर्जी के किया था।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 3 HC 322 रोहितास कुमार को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि- "मैं दिनांक 19-09-18 को थाना खैरगढ में HM के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने वादी राजेश कुमार पुत्र सियाराम की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 105/18, धारा 376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम प्रेमवीर यादव के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। चिक मैंने बोल बोलकर सी०सी० 687 नीरेश कुमारी से कम्प्यूटर से किता करायी थी। तहरीर पर मैंने थानाध्यक्ष गंगासरन के हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/1 लगायत 3 अ/2 चिक FIR को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही चिक FIR है जो मैंने बोल बोलकर किता करायी थी। इस पर **प्रदर्श क-3** डाला गया। उक्त का खुलासा मैंने रोजनामचा आम में उसी दिन एक ही क्रम में रपट नं० 62 समय 23.50 बजे किया था। जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर मौजूद है। मैं असल जी०डी० साथ लेकर आया हूँ, क जिसकी हूबहू प्रति पत्रावली पर मौजूद है। मैं इसे प्रमाणित करता हूँ। इस पर **प्रदर्श क-4** डाला गया। पत्रावली पर कागज सं० 11 ब/9 है।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 डा० शशिकान्त गुप्ता को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 22-09-2018 को जिला अस्पताल फिरोजाबाद में बतौर रेडियोलोजिस्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिन मैंने "पीड़िता" पुत्री राजेश कुमार का एक्स-रे परीक्षण पुलिस के समक्ष किया था एवं अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण भी किया था। जिसे पुलिस लेकर आयी थी। "पीड़िता" को पुलिस थाना खैरगढ से लेकर आयी थी। महिला पुलिसकर्मी दो स्लिप साथ लेकर आई थी। "पीड़िता" के नाक पर एक काला तिल था।

अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण- "पीड़िता" गर्भवती नहीं थी।

एक्स-रे परीक्षण- 1- एक कोहनी के जोड़ का एक्स-रे सभी हड्डियों के सिर अपनी अपनी हड्डियों से जुड़े हुए थे।

2- बाये घुटने में जोड़ का एक्स-रे सभी हड्डियों के सिरे अपनी-अपनी हड्डियों से जुड़े हुए थे।

3- दायी कलाई में जोड़ का एक्स-रे रोडियस एवं अलना हड्डी के सिरे अपनी-अपनी हड्डियों से जुड़े हुए थे।

4- कूल्हे की हड्डी का एक्स-रे में हड्डी का सिरा अपनी हड्डी से नहीं जुड़ा था।

5- कालर हड्डी के मध्य भाग का एक्स-रे में हड्डी का सिरा अपनी हड्डी से नहीं जुड़ा था।

मैंने "पीड़िता" के दाहिने हाथ का अंगूठा एक्स-रे रिपोर्ट पर लगवाकर प्रमाणित किया था। एक्स-रे रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया।

"पीड़िता" का बोर्ड द्वारा उम्र निर्धारण के लिए बोर्ड गठित किया गया था। CMO साहब के साथ मैं भी बोर्ड का सदस्य था। बोर्ड द्वारा "पीड़िता" की आयु लगभग 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 8अ/10 उम्र निर्धारण प्रमाण पत्र पर "पीड़िता" का दाहिने हाथ का अंगूठा निशानी लगवाया था। जिसको CMO साहब ने प्रमाणित किया था। उम्र निर्धारण प्रमाण पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया।

मेरे द्वारा तैयार की गयी एक्स-रे प्लेटों पर "पीड़िता" का दाहिने हाथ का अंगूठा लगवाया गया था, जिसे मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया था। एक्स-रे प्लेटें पत्रावली पर 9अ/1 लगायत 9अ/3 के रूप में मौजूद हैं, जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श-1, वस्तु प्रदर्श-2 व वस्तु प्रदर्श-3 डाला गया। "पीड़िता" का अल्ट्रासाउण्ड मेरे द्वारा किया गया था, जिसका अल्ट्रासाउण्ड फोटो पत्रावली पर कागज सं० 8अ/13 है, जिसमें "पीड़िता" के दाहिने हाथ का अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया था, इस फोटो अल्ट्रासाउण्ड पर वस्तु प्रदर्श-4 डाला गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 डा० उपासना गुप्ता को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 20-09-18 को जिला महिला अस्पताल फिरोजाबाद में मेडिकल आफिसर के पद पर तैनात थी। उस दिन मैंने "पीड़िता" पुत्र राजेश का डाक्टरी परीक्षण किया था। "पीड़िता" के साथ महिला का० 667 नीलम और "पीड़िता" के पिता राजेश आये थे। "पीड़िता" के पहचान चिन्हे में उसकी नाक के दाहिनी तरफ एक काला तिल था। मैंने "पीड़िता" की सहमति से व उसके पिता की सहमति से उसका डाक्टरी परीक्षण किया था। जो निम्न प्रकार है-

"पीड़िता" ने बताया कि वह अविवाहित है और उसका मासिक 10-09-18 को आया था। "पीड़िता" ने बताया था कि दिनांक 18-09-18 को दोपहर 12 बजे एक लड़का प्रेमवीर जो कि उसका जानने वाला था उसके घर आया और घर चलने को बोला। जब वह घर जाने को तैयार नहीं हुई तो

उसे घर न ले जाकर खेत में ले गया जहाँ उसने उसके साथ जबरजस्ती गलत काम किया।

परीक्षण- साधारण परीक्षण सभी सामान्य थे। उसके काँख के बाल का रंग काला व मोटा, गुप्तांग में बालों का रंग काला व मोटा था। "पीड़िता" का वजन 49 किलो था। "पीड़िता" ने घटना के बाद अपने कपड़े बदल लिए थे और वह नहा ली थी। "पीड़िता" के स्तन विकसित थे। मैंने "पीड़िता" का वैजाइनल स्मियर स्लाइड तैयार किया था और एक्स-रे व अल्ट्रासाउण्ड के लिए सलाह दी थी।

मैंने "पीड़िता" का परीक्षण दिनांक 20-09-18 को समय 02.50 PM में शुरू किया और 03.10 PM पर समाप्त किया था। "पीड़िता" के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। "पीड़िता" के आन्तरिक शरीर पर भी कोई चोट का निशान नहीं था और उसके हाइमन टूटे हुए थे और उसको हल्का रक्तस्राव हो रहा था। दो स्लाइड बंद लिफाफा और अल्ट्रासाउण्ड व एक्स-रे जाँच स्लिप महिला कान्सटेबल नीलम चाहर को सौंप दी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 8 अ/1 लगायत 8 अ/6 डाक्टर की परीक्षण रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ, जिस पर प्रदर्शक-7 डाला गया। मैंने "पीड़िता" की पूरक रिपोर्ट दिनांक 23-11-18 को तैयार की थी जो कि निम्न प्रकार है-

अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार गर्भाशय गर्भ से नहीं था और वैजाइनल स्मियर में स्पर्मेटोजोआ नहीं पाया गया और गर्भ परीक्षण भी निगेटिव था।

मेरी राय में सामान्य और आन्तरिक परीक्षण के अनुसार "पीड़िता" के साथ बलात्संग की साक्ष्य नहीं पायी गयी।

पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 8 अ/7 लगायत 8 अ/9 पूरक रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी, जिस पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ, जिस पर प्रदर्शक-8 डाला गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 6 संजय कुमार विवेचक को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 6 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 20-09-18 को क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के पद पर कार्यरत था। दिनांक 20-09-18 को मु०अ०सं० 105/2018 धारा 363 भा०दं०सं० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना खैरगढ, जिला फिरोजाबाद बनाम प्रेमवीर यादव की मुझे सुपुर्दगी हुई थी। उसी दिन मैंने पर्चा नं० 1 कित्ता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट व बयान लेखक एफ०आई०आर० रोहितास कुमार अंकित किया। पर्चा नं० 2 में नकल रिपोर्ट

बयान 161 द०प्र०सं० "पीड़िता", बयान वादी व निरीक्षण घटना स्थल नक्शा नजरी किता किया। पत्रावली पर मौजूद नक्शा नजरी मेरे द्वारा तैयार करवाया है जिस पर हस्ताक्षर कि शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्शक-9 डाला गया। पर्चा नं० 3 में "पीड़िता" का बयान धारा 164 द०प्र०सं० न्यायालय में दर्ज हुआ, जिसका अवलोकन नहीं हो सका। पर्चा नं० 4 में "पीड़िता" का बयान धारा 164 द०प्र०सं० का अवलोकन सी०डी० में किता किया। "पीड़िता" की बहन कु० दीक्षा के बयान अंकित किये और अभियुक्त प्रेमवीर के घर दबिश दी गयी दस्तयाब नहीं हुआ। जिसके बाद मेरा सिरसागंज सर्किल में स्थानान्तरण हो गया। आगे कि विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री अजय सिंह चौहान के द्वारा की गयी है।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 7 सी०ओ० अजय सिंह चौहान विवेचक को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 7 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 22-10-18 को क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे क्षेत्राधिकारी संजय कुमार रेड्डी के स्थानान्तरण के पश्चात मु०अ०सं० 105/2018, धारा 376 भा०दं०सं० व धारा 3(2) V एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना खैरगढ बनाम प्रेमवीर यादव की विवेचना सुपुर्द हुई थी। उस दिन मैंने पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये सी०डी० का अवलोकन किया था तथा अभियुक्त के घर पर दबिश दी गयी, दस्तयाब नहीं हुआ, यह पर्चा नं० 6 है। पर्चा नं० 7 में अभियुक्त प्रेमवीर यादव की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। गिरफ्तार नहीं हुआ तथा एस०ओ० खैरगढ को अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। पर्चा नं० 8 में अभियुक्त के मसरूर व सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी, गिरफ्तार नहीं हो सका तथा अभियुक्त का NBW प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय रिपोर्ट दी गयी। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त का NBW जारी किया गया तथा थाना खैरगढ को भेजा गया। पर्चा नं० 9 में "पीड़िता" की पूरक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसका अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया गया तथा अभियुक्त प्रेमवीर यादव की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी, दस्तयाब नहीं हो सका। एस०ओ० खैरगढ से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। पर्चा नं० 10 में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी, दस्तयाब नहीं हो सका। एस०ओ० खैरगढ से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। पर्चा नं० 11 में अभियुक्त प्रेमवीर यादव की दबिश दी गयी गिरफ्तार नहीं हुआ तथा एस०ओ० द्वारा अदम तामीला NBW अभियुक्त का वापिस किया गया। पर्चा नं० 12 अभियुक्त की गिरफ्तारी की दबिश दी गयी दस्तयाब नहीं

हुआ तथा न्यायालय से धारा 82 द०प्र०सं० हेतु प्रार्थना पत्र जारी कराने हेतु दिया गया। पर्चा नं० 13 में अभियुक्त को पकड़ने हेतु दबिश दी गयी दस्तयाब नहीं हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा धारा 82 द०प्र०सं० निर्गत की गयी। पर्चा नं० 14 में को गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। धारा 82 द०प्र०सं० के तामीला हेतु एस०ओ० खैरगढ को निर्देशित किया गया। पर्चा नं० 15 में अभियुक्त प्रेमवीर यादव कि धारा 82 द०प्र०सं० एस०ओ० खैरगढ द्वारा तामील की गयी। तामीलशुदा प्रति दैनिक जागरण में प्रकाशन हेतु संलग्न सी०डी० की गयी। पर्चा नं० 16 में अभियुक्त प्रेमवीर के आत्म समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय से प्राप्त हुआ। रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रेषित की गयी। पर्चा नं० 17 में अभियुक्त प्रेमवीर यादव द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण किया गया। बयान अभियुक्त अंकित किया गया। पर्चा नं० 18 में महिला आरक्षी नीलेश तलविदा का बयान अंकित किया गया। बयान गवाहान अंकित किये गये तथा तमाम साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त प्रेमवीर यादव के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली पर कागज सं० 4अ/1 लगायत 4अ/2 है, इस पर मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, इस आरोप पत्र पर प्रदर्श क-10 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 8 डा० नवीन जैन को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 8 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 22-09-18 को जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद पर पैथोलॉजिस्ट के पद पर तैनात था। मैंने "पीड़िता" पुत्र राजेश कुमार निवासी प्रेमनगर सैलई थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद का वैजाइनल स्मीयर स्लाइड परीक्षण एवं ग्रेविंटेक्स टेस्ट किया था। परीक्षण में कोई भी शुक्राणु नहीं पाया गया एवं ग्रेविंटेक्स टेस्ट निगेटिव पाया गया। पैथोलॉजी रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी है, जो कि पत्रावली पर 8अ/12 है, मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, इस रिपोर्ट टेस्ट पर प्रदर्श क-11 अंकित किया गया।"

10. प्रस्तुत प्रकरण बलात्संग जैसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित है। अभियोजन द्वारा उपलब्ध कराये गये मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्यों के आलोक में न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 18-09-2018 को समय 12.00 बजे दिन को वादी की पुत्री को बहाने से मोटरसाइकिल से अपने साथ ले जाकर गांव हलपुरा कट के पास बने ट्यूबवेल की कोठरी में उसके साथ जबरन उसकी इच्छा के विरुद्ध

बलात्संग किया गया ? क्या अभियुक्त द्वारा यह जानते हुए कि वादी की पुत्री अनुसूचित जाति की है, जानते हुए उसके साथ जबरन बलात्संग जैसा गंभीर अपराध किया जो दस वर्ष या उससे अधिक सजा से दण्डनीय अपराध है ?

11. प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 18-09-18 की समय लगभग 12.00 बजे दिन की है। अभियुक्त के ऊपर यह आरोप है कि वह वादी की पुत्री ("पीड़िता") को बहाने से गाँव हलपुरा कट के पास ट्यूबवेल की कोठरी में ले गया जहाँ पर "पीड़िता" की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्संग यह जानते हुए किया कि "पीड़िता" अनुसूचित जाति की सदस्य है। घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19-09-18 को समय 23.50 बजे वादी ("पीड़िता" के पिता) द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर पंजीकृत की गयी। जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम में रपट सं० 62 के रूप में 23.50 पर की गयी। लिखित प्रार्थन पत्र दिनांकित 19-09-18 इस आशय का थानाध्यक्ष खैरगढ फिरोजाबाद को दिया गया कि वादी पी०डब्लू० 1 की पुत्री ("पीड़िता") दिनांक 18-09-18 को घर पर अकेली थी, समय लगभग 12.00 बजे दिन में अभियुक्त प्रेमवीर यादव पुत्र जगदीश यादव, निवासी हलपुरा, थाना मटसैना, फिरोजाबाद वादी के घर आया। अभियुक्त पहले से आर०ओ० के पानी की सप्लाई करता था तथा वादी के घर आना-जाना था। उस दिन वादी और उसकी पत्नी घर पर नहीं थे। "पीड़िता" घर पर अकेली थी। अभियुक्त प्रेमवीर यादव अपनी भाभी से मिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर हलपुरा कट के पास बने ट्यूबवेल के पास लाया जहाँ पर वादी की पुत्री के साथ बुरा काम किया और "पीड़िता" को ले जाकर वादी के घर के पीछे वाली गली में छोड़ दिया। वादी जब घर पर आया तो "पीड़िता" ने घटना की आपबीती बताई। तत्पश्चात उपरोक्त लिखित तहरीर विपिन कुमार नामक व्यक्ति से लिखवाकर थाने पर दिया। इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से वादी राजेश कुमार को पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित किया। घटना का समर्थन करते हुए पी०डब्लू० 1 ने शपथपूर्वक बयान किया कि "घटना दिनांक 18-09-18 की समय 12.00 बजे दिन की है। मेरे घर पर प्रेमवीर यादव निवासी हलपुरा थाना मटसैना आया था। प्रेमवीर यादव पहले से आर०ओ० के पानी की सप्लाई करता था। मेरे घर पर पानी देता था। मैं और मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। घर पर मेरी बेटा ("पीड़िता") अकेली थी। प्रेमवीर यादव मेरे घर पर आया और मेरी पुत्री को अपनी भाभी से मिलाने से बहाने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ग्राम हलपुरा के पास बने कट के पास लाया जहाँ पर उसने मेरी पुत्री के साथ बुरा काम (बलात्संग) किया। अग्रेतर पी०डब्लू० 1 वादी ने कहा कि उसके बाद

प्रेमवीर यादव मेरी पुत्री ("पीड़िता") को मेरे घर के पीछे वाली गली में छोड़कर भाग गया। शाम को जब मैं काम से अपने घर पर वापस आया तो मेरी पुत्री ने मुझे घटना के बारे में बताया। घटना के सम्बन्ध में मैं थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया था। तहरीर मैंने विपिन कुमार पुत्र सियाराम निवासी मौहल्ला अम्बेडकर नगर पार्क थाना रामगढ़ को बोल-बोलकर लिखाई और उस पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली पर उपलब्ध कागज 3 अ/3 तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। पी०डब्लू० 1 ने कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने थाने पर दिया था। उसके बाद पुत्री को लेकर अस्पताल गया। लेडी पुलिस भी साथ में थी। जहाँ पर उसका डाक्टरी मुआयना हुआ था। पी०डब्लू० 1 राजेश कुमार से बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत प्रति-परीक्षा की गयी। प्रति-परीक्षा में पी०डब्लू० 1 ने कहा कि "मेरी बेटी की उम्र 18 वर्ष है। मेरी छोटी बेटी की उम्र करीब 16-17 वर्ष है। अग्रेतर कहा कि मैं मौहल्ला प्रेम नगर सैलई में रहता हूँ, जो थाना रामगढ़ में लगता है। अभियुक्त प्रेमवीर हलपुरा थाना मटसैना में लगता है। मेरा घर हलपुरा गाँव से 2-3 किलोमीटर दूरी पर होगा। साक्षी ने प्रति-परीक्षा में कहा कि जिस दिन की घटना है और जिस दिन लड़की गयी उस दिन मैं और मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। रोजाना की तरह 6-7 बजे कारखाने में काम करने के लिए फिरोजाबाद चला जाता हूँ और रात करीब 08.00 बजे घर वापस आता हूँ। साक्षी पी०डब्लू० 1 ने लड़की को किसी के साथ जाते हुए नहीं देखा और ना ही घर वापस आते हुए देखा। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि "हाजिर अदालत मुल्जिम को देखकर कहा कि मैं इसको नहीं जानता हूँ। इसका क्या नाम है, कहां रहता है, क्या काम करता है, मेरी जानकारी में नहीं है। हाजिर अदालत मुल्जिम मेरे घर पर आर०ओ० का पानी देने नहीं आता था। आर०ओ० का पानी देने दूसरा आता था। लड़की ने जाने व आने व किस के साथ गयी कब वापस आई मेरी किसी तरीके से बातचीत पत्नी से नहीं हुई थी और न मेरी पत्नी ने मुझे बताया था कि "पीड़िता" को कोई घर से मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और "पीड़िता" वापस घर कब और कैसे आई यह मुझे नहीं बताया।" अग्रेतर कहा कि मेरी पत्नी ने यह भी नहीं बताया था कि "पीड़िता" के साथ घर से ले जाकर किसी ने उसके साथ कहाँ बलात्संग किया है। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि तहरीर प्रदर्श क-1 मेरे हाथ की लिखी हुई नहीं है। प्रदर्श क-1 सुनकर गवाह ने कहा कि यह तहरीर मेरे भाई विपिन कुमार के हाथ की लिखी है। विपिन कुमार ने पढकर नहीं सुनाया था और न मैंने स्वयं पढा था। मैंने अपने भाई के कहने से उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे और दस्तखत कराकर मेरा भाई ने थाने चला

गया था। इस केस के बाबत मुझे किसी पुलिस अधिकार ने कोई पूछताछ नहीं की थी और न मेरा बयान लिया था। पी०डब्लू० 1 राजेश कुमार से न्यायालय द्वारा भी प्रश्न पूछे गये थे, जिसके उत्तर में पी०डब्लू० 1 ने कहा कि "मैंने दिनांक 19-09-18 को रिपोर्ट लिखाई थी। मैं पढा लिखा नहीं हूँ। दस्तखत बना लेता हूँ। विपिन कुमार मेरा सगा भाई है। जिस दिन मैंने रिपोर्ट लिखाई थी उस दिन मेरे पास मोबाइल था----- मैं 16-06-19 को न्यायालय में आया था और मैंने बयान लिखाया था। बयान देने से पहले न्यायालय पर नियुक्त कोर्ट साहब ने प्रदर्श क-1 में लिखी बातों के बारे में बताया था। उसके बाद मेरा बयान हुआ था। मुझे प्रदर्श क-1 में लिखी सभी बातें बता दी गयी थी। न्यायालय के प्रश्न के उत्तर में साक्षी ने कहा कि "मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी और रिपोर्ट झूठी है। अग्रेतर कहा कि प्रेमवीर यादव के बारे में मेरे बच्चों ने मुझे बताया था। जिससे मैंने पानी लेने की बात की थी। उसको मैंने देखा नहीं था। मेरी बात पानी लेने वाली आमने-सामने हुई थी। इस प्रकार पी०डब्लू० 1 राजेश कुमार के सम्पूर्ण बयानों के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि तहरीर प्रदर्श क-1 वादी के भाई विपिन कुमार द्वारा लिखी गयी थी। वादी ने तहरीर प्रदर्श क-1 पर अपने हस्ताक्षर की पहचान न्यायालय के समक्ष किया था, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया है। तहरीर को साक्ष्यांकन के पूर्व पढकर पी०डब्लू० 1 को सुनाया गया था। तहरीर में जो बातें लिखी हैं उसका समर्थन करते हुए अपने बयान में कहा कि दिनांक 18-01-2019 को अभियुक्त प्रेमवीर यादव उसके घर पर आया था। प्रेमवीर यादव आर०ओ० के पानी सप्लाई करता था। घटना वाले दिन वह समय पर वादी व उसकी पत्नी उपस्थित नहीं थे। अपनी भाभी से मिलाने के बहाने वादी की पुत्री ("पीड़िता") को ले गया था और गाँव हलपुरा कट के पास बनी कोठरी में ले गया जहाँ पर वादी के कथनानुसार अभियुक्त ने "पीड़िता" की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्संग किया था। साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्यों तथा सुसंगत परिस्थितियों का परिक्षण किया जाना आवश्यक है। वादी पी०डब्लू० 1 ने स्वयं अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि जब वह शाम को काम से वापस लौटा तो "पीड़िता" ने अपनी आपबीती बताई थी और इसी आधार पर उसके द्वारा थाने पर लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 मुकदमा पंजीकृत कराने के सम्बन्ध में दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने में किसी प्रकार को कोई अनुचित विलम्ब भी कारित नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 हेड का० 322 रोहितास कुमार के शपथपूर्वक बयान में आया है कि वह दिनांक 19-09-18 को थाना खैरगढ़ में हेड मोहरीर के पद पर

तैनात था। उस दिन वादी राजेश पुत्र सियाराम निवासी मौहल्ला प्रेमनगर सैलई थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद की तहरीर के आधार पर अ०सं० 105/2018, धारा 376 भा०दं०सं० व धारा 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट प्रेमवीर यादव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। पी०डब्लू० 3 द्वारा बोलकर सी०सी० 687 नीरेश कुमारी से कम्प्यूटर से किता करायी थी। चिक एफ०आई०आर० कागज सं० 3 अ/1 ता 3 अ/2 को देखकर कहा कि यह वही एफ०आई०आर० है जो मैंने बोल बोलकर किता करायी थी। चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क-2 डाला गया। जिसकी प्रविष्टि रपट सं० 62 समय 23.50 बजे की गयी थी। रोजनामचा आम पर प्रदर्श क-4 डाला गया। पी०डब्लू० 3 के साक्ष्य से यह बात स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी राजेश कुमार द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर के आधार पर पंजीकृत की गयी थी। वादी पी०डब्लू० 1 राजेश कुमार का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० विवेचक द्वारा अंकित किया गया था। जिसमें राजेश कुमार ने विवेचक को यह बताया था कि "दिनांक 18-09-18 को समय करीब 12.00 बजे प्रेमवीर यादव पुत्र जगदीश यादव निवासी हलपुरा थाना मटसैना फिरोजाबाद मेरे घर आया जो मेरे घर पहले आर०ओ० का पानी सप्लाई करता था, जिसका मेरे घर आना-जाना था। मैं तथा मेरी पत्नी घर पर नहीं थे। घर पर मेरी पुत्री ("पीड़िता") 18 वर्ष अकेली थी। प्रेमवीर मेरे घर पर आया। मेरी पुत्री को अपनी भाभी से मिलाने के बहाने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर हलपुरा कट के पास बने ट्यबवेल पर ले गया जहाँ पर उसने मेरी पुत्री के साथ बलात्संग किया फिर वह मेरी पुत्री को मोटरसाइकिल पर बैठाकर मेरे घर के पीछे वाली गली में छोड़ कर भाग गया जब मैंने घर आया तो मेरी पुत्री ने आपबीती बताई। तब मैं रिपोर्ट लिखाने थाना रामगढ गया जहाँ मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। घटना स्थल पर भेजा फिर मैं थाना खैरगढ पर अपनी पुत्री को लेकर पहुंचा जहाँ मेरा मुकदमा लिखा गया।"

इस मामले के प्रथम विवेचक पी०डब्लू० 6 श्री संजय कुमार रेड्डी तत्कालीन क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद थे। जिनके द्वारा पर्चा नं० 2 में दिनांक 29-09-18 को "पीड़िता", वादी राजेश कुमार का बयान अन्तर्गत धारा 161 अंकित किया गया। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया। उनके द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा नक्शा नजरी वादी की निशानदेही पर बनाया गया। नक्शा नजरी प्रदर्श क-9 पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। उनके द्वारा पर्चा नं० 3 में दिनांक 25-09-18 को "पीड़िता" का बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० न्यायालय में दर्ज कराये जाने का कथन किया गया है। दिनांक 28-09-18 को "पीड़िता" को

बयान का अवलोकन किया गया तथा पर्चा नं० 4 अंकित किया गया। "पीड़िता" की बहन का भी बयान अंकित किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी बाबत दबिश भी दी गयी थी। पी०डब्लू० 6 संजय कुमार रेड्डी प्रथम विवेचक की प्रति-परीक्षा में आया है कि विवेचना के दौरान पर्चा नं० 2 दिनांक 23-09-18 के अंत में लिखा है मुकदमे उपरोक्त की "पीड़िता" द्वारा अपने पिता को अभियुक्त द्वारा ट्यूबवेल पर ले जाना बताया गया। जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित निरीक्षण घटना स्थल के दौरान ट्यूबवेल के पीछे बाजरा के खेत में बताया। वादी पी०डब्लू० 1 से की गयी प्रति परीक्षा में वादी ने कहा कि उसका बयान किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया, जो प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत मामले की विवेचना दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा की गयी है। यह नहीं कहा जा सकता कि विवेचक द्वारा वादी के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० स्वमेव लिख दिये गये हो। वादी पी०डब्लू० 1 का यह कथन भी इस सीमा तक विश्वसनीय नहीं है कि उसे तहरीर पढकर नहीं सुनाई गयी। न्यायालय के द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में पी०डब्लू० 1 ने कहा कि उसने 19-09-18 को रिपोर्ट लिखाई थी और प्रेमवीर यादव के बारे में बच्चों ने उसे बताया था। घटना के अगले दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया जाना घटना की विश्वनीयता को बढ़ाने वाले तथ्य हैं। वादी पी०डब्लू० 1 द्वारा प्रति-परीक्षा में यह कहना है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियुक्त को वह नहीं जानता है अथवा उसका नाम व पता नहीं मालूम है, विश्वसनीय नहीं है। जानबूझकर उसने उस सीमा तक असत्य कथन किये हैं।

"पीड़िता" को अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 के रूप में परीक्षित किया गया। "पीड़िता" घटना के समय 18 वर्ष की थी। सोचने-समझने में सक्षम एवं समर्थ थी। मेडिकल रिपोर्ट से भी उसकी आयु 18 वर्ष की प्रमाणित हुई है। "पीड़िता" पी०डब्लू० 2 ने भी अपने शपथपूर्वक बयान में घटना दिनांक 18-09-18 की दिन के 12.00 बजे की होना कहा। अग्रेतर बयान में कहा कि "घर पर मेरी छोटी बहन थी। तभी मेरे घर पर प्रेमवीर यादव आया और उसने कहा कि मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी भाभी से मिलवाकर लाता हूँ। उसने उसे मना किया तो उसने कहा कि मैं अभी पाँच मिनट में यही पर वापस कर जाऊंगा। तुम अभी मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गई थी। वह मुझे सिक्स लेने के पास जो ट्यूबवेल है वहाँ पर ले गया था। यह ट्यूबवेल हलपुरा गाँव के पास में है। ट्यूबवेल पर ले जाकर उसने मेरे साथ गलत काम (बलात्संग) किया था। उसके बाद प्रेमवीर यादव मुझे मेरे घर के पीछे वाली गली में छोड़ गया था।

मैंने शोर मचाया था लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। केवल खेत ही खेत थे। जब मैं घर आ गई तो मैंने अपने पापा को सारी बातें बतायी थी। मैंने न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपना बयान दिया था। न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध "पीड़िता" का बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० खोलकर पढ़कर सुनाया गया। इस सम्बन्ध में "पीड़िता" ने कहा कि "मैंने यह बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपनी मर्जी से दिया था। धारा 164 द०प्र०सं० पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्शक-2 डाला गया। अग्रेतर "पीड़िता" पी०डब्लू० 2 ने कहा कि प्रेमवीर यादव ने मेरे साथ गलत काम (बलात्संग) बिना मेरी मर्जी के किया था। बचाव पक्ष/अभियुक्त की ओर से की गयी प्रति-परीक्षा में "पीड़िता" पी०डब्लू० 2 ने कहा कि "हाजिर अदालत मुल्जिम को मैं नहीं जानती हूँ। यह अदालत हाजिर अदालत मेरे घर पानी देने कभी नहीं आता था। यह आदमी मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाकर नहीं ले गया। यह आदमी कहां रहता है और क्या करता है मैं नहीं जानता हूँ। हाजिर अदालत मुल्जिम से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम प्रेमवीर बताया। इस हाजिर अदालत मुल्जिम ने मुझे न तो कहीं लिवाकर ले गया और ना ही कोई गलत काम किया। मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ बयान कराने मैं पुलिस वालों के साथ आई। मुझे पुलिस वालों ने बयान समझाया था, जैसा उन्होंने समझाया था वैसा ही बयान मैंने मजिस्ट्रेट को दिया था।" अग्रेतर कहा कि मेरे सामने पुलिस वाले मेरे पिता के घर कभी नहीं आये थे।" न्यायालय के द्वारा भी प्रश्न पूछे गये। न्यायालय के प्रश्नों के उत्तर में "पीड़िता" ने कहा कि मैं जो अपने पिता को बताया था वही उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखाया था। मैं एक ही प्रेमवीर को जानती हूँ। प्रेमवीर से मेरी जान पहचान पानी देने के नाते हुई थी। जो मुझे कोर्ट साहब ने आज न्यायालय में पूछा और मैंने जो बयान दिया वह सही है। मैं प्रेमवीर को पहले से जानती थी। इसलिए उसके साथ चली गयी थी।" न्यायालय द्वारा यह प्रश्न पूछे गये तो इसके उत्तर में कहा कि मैं प्रेमवीर को जानती हूँ। अग्रेतर न्यायालय के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि "प्रेमवीर यादव नाम सही है। यह प्रेमवीर यादव उसी व्यक्ति का नाम है जो मुझे ले गये था।" जिस समय मेरा बयान मजिस्ट्रेट साहब ने लिखा, मजिस्ट्रेट साहब ने मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला था। मेरा बयान 15-20 मिनट बाद लिखा गया था। जिस समय मैं बयान दे रही थी उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल स्वस्थ था। मेरे दिमाग पर कोई भार नहीं था। जब मेरे पिता जी प्रेमवीर यादव के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी तब वह पकड़ा गया था। मुझे नहीं मालूम है।-----" "पीड़िता" ने अग्रेतर कहा कि "यह बात तो सही है कि मेरे

साथ बलात्संग की घटना घटित हुई है और प्रेमवीर यादव द्वारा घटित की गयी है। "पीड़िता" का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किया गया जो निम्नवत है-

"एक लड़का प्रेमवीर पुत्र जगदीश निवासी हलपुरा हमारे घर फिल्टर का पानी देने आता था। प्रेमवीर यादव 18 सितम्बर 2018 को समय 12-01 बजे दिन हमारे घर आया। उसने मुझसे कहा कि हमारी भाभी बुला रही हैं, हमारे साथ चलो। उस वक्त घर मेरी बहन दीक्षा 17 वर्ष थी। मैंने उसे नहीं बताया था। तो वह मुझे ट्यूबवेल पर ले गया और वहाँ पर उसने मेरे साथ गलत काम किया और फिर मेरे घर के पीछे वाली गली में छोड़ के चला गया। उस वक्त मैंने देखा नहीं था कि गली में कोई है या नहीं। जब वो मुझे में छोड़कर गया था तो मैंने शोर नहीं मचाया था शाम को मेरे पापा आये तब सारी बात बताई। फिर दूसरे दिन 19 सितम्बर 2018 को रामगढ थाना मेरे पापा लेकर गये वहाँ हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी फिर वहाँ से घटना स्थल पर भेज दिया। फिर वहाँ से खैरगढ आ गये थे। तब वहाँ पर हमारी रिपोर्ट लिखी गयी थी।"

न्यायालय में विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० दिनांक 25-09-18 को अंकित किया गया था, जिसमें "पीड़िता" ने कहा कि

"दिनांक 18-09-18 को मैं अपने घर पर थी। मेरी बहन दीक्षा भी घर पर थी। मेरे घर पर प्रेमवीर यादव जो कि फिल्टर का पानी हमारे घर लाता था। अब वह पानी नहीं लाता है। उसने मुझसे कहा कि चलो मेरी भाभी से मिलना है। मैंने मना किया तो बोला कि चलो पाँच मिनट में वापस आ जाऊंगा। उसने मुझे अपनी मोटरसाइकिल से ले गया परन्तु उसने अपनी भाभी के घर न ले जाकर ट्यूबवेल के पास ले गया। उसने मुझे अपने गाँव ले गया था। दिन में 12-01 PM की बात है। ट्यूबवेल खेत में लगा था। वहाँ कोई नहीं था। प्रेमवीर ने मेरे साथ जबरजस्ती बलात्संग किया तथा जान से मारने की धमकी भी दिया। मुझे अपनी बाइक से मेरे घर के पीछे गली में छोड़कर भाग गया। मैंने शाम को अपने पापा को इस बात के बारे में बताया। मेरे पापा अगले दिन थाने गये तथा रिपोर्ट लिखाई।"

"पीड़िता" के बयान से यह भी स्पष्ट है कि यह वही प्रेमवीर यादव है जिसके सम्बन्ध में "पीड़िता" के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। "पीड़िता" ने इस बात को सही बताया कि प्रेमवीर यादव नाम सही है। यह प्रेमवीर यादव उसी व्यक्ति का नाम है जो उसे ले गया था। जिस समय विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष "पीड़िता" का बयान अंकित किया गया

था उस समय उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। उसने स्वतंत्र और निर्भीक होकर बयान अंकित कराया था। उसके सामने मस्तिष्क पर कोई भार नहीं था। घटना के सम्बन्ध में "पीड़िता" ने अपने पिता को उसी दिन बताया था। "पीड़िता" के पिता पी०डब्लू० 1 ने कहा कि वह घर लौटकर आया तो "पीड़िता" ने घटना के बारे में बताया था। "पीड़िता" पी०डब्लू० 2 ने इस बात को सही बताया कि उसके साथ बलात्संग की घटना घटित हुई थी और प्रेमवीर यादव द्वारा घटित की गयी थी। इसलिए "पीड़िता" का प्रति-परीक्षा में यह कह देना कि वह हाजिर अदालत अभियुक्त को नहीं पहचानती है और वह पानी देने नहीं आता था और न मोटरसाइकिल पर ले गया, कदापि विश्वसनीय नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस आशय का बयान देने के लिए उस पर या तो अनुचित दबाव बनाया गया अथवा उसे प्रलोभन में लिया गया। न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों के सम्बन्ध में कहा कि जो उसने अपने पिता को बताया था वही पिता जी ने रिपोर्ट में लिखा था। "पीड़िता" के बयान में यह भी आया कि वह प्रेमवीर को जानती है। उससे जान पहचान पानी देने के नाते हुई थी। न्यायालय के समक्ष जो बयान दिया गया था उसको भी "पीड़िता" ने सही बताया। प्रेमवीर यादव को "पीड़िता" पहले से जानती थी इस आशय का बयान "पीड़िता" ने किया है। इस प्रकार "पीड़िता" के सम्पूर्ण बयान के अवलोकन से यह बात प्रमाणित होती है कि अभियुक्त प्रेमवीर यादव घटना वाले दिन 18-09-18 को "पीड़िता" के घर गया और उसे भाभी से मिलाने के बहाने से ले गया और ट्यूबवेल पर ले जाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्संग किया। धारा 164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत "पीड़िता" ने जो बयान दिया है वह प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथानक को पुष्ट करता है। "पीड़िता" "पीड़िता" के बयानों में कोई तत्त्विक विरोधाभास नहीं है। "पीड़िता" का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था। **इस सम्बन्ध में डा० उपासन गुप्ता पी०डब्लू० 5** के रूप में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया। **डा० उपासन गुप्ता पी०डब्लू० 5** दिनांक 20-09-18 को जिला महिला अस्पताल फिरोजाबाद में मेडिकल आफिसर के रूप में तैनात थी। उस दिन "पीड़िता" का मेडिकल परीक्षण किया था। "पीड़िता" के साथ महिला का० 667 नीलम और "पीड़िता" के पिता आये थे। "पीड़िता" ने बताया था कि वह अविवाहित है। उसका मासिक धर्म 10-09-18 को आया था। "पीड़िता" ने यह भी बताया था कि 18-09-18 को दोपहर 12.00 बजे एक लड़का प्रेम जो कि उसका जानने वाला था घर आया था और घर से चलने को बोला तो वह घर जाने को तैयार नहीं हुई तो उसे घर न ले जाकर खेत में ले गया जहाँ पर उसने जबरजस्ती उसके साथ बलात्संग किया। मेडिकल परीक्षण के समय

"पीड़िता" के काख के बाल थे, रंग काला था। गुप्तांग के बालों का रंग काला था। "पीड़िता" का वजन 49 किलो था। "पीड़िता" ने घटना के बाद अपने कपड़े बदल लिये थे और वह नहा ली थी। परीक्षण के समय पाया गया कि उसके स्तन विकसित थे। "पीड़िता" का वैजाइनल स्मियर स्लाइड तैयार किया गया। एक्स-रे की सलाह दी गयी थी। "पीड़िता" का परीक्षण 20-09-18 को समय को समय 02.50 PM में शुरू किया और 03.10 PM पर समाप्त किया था। "पीड़िता" के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। "पीड़िता" के आन्तरिक शरीर पर भी कोई चोट का निशान नहीं था और उसके हाइमन टूटे हुए थे और उसको हल्का रक्तस्राव हो रहा था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 8 अ/1 लगायत 8 अ/6 डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट डा० उपासना गुप्ता द्वारा तैयार की गयी थी। जिसने अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस पर प्रदर्शक-7 डाला गया। डा० उपासन गुप्ता द्वारा "पीड़िता" की पूरक रिपोर्ट दिनांक 23-11-18 को तैयार की थी। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार गर्भाशय गर्भ से नहीं था और वैजाइनल स्मियर में स्पर्मेटोजोआ नहीं पाया गया और गर्भ परीक्षण भी निगेटिव था। पी०डब्लू० 5 की राय में "पीड़िता" के साथ बलात्संग का साक्ष्य नहीं पाया गया। कागज सं० 8 अ/7 ता 8 अ/9 पूरक रिपोर्ट डा० उपासन गुप्ता द्वारा तैयार की गयी, जिसकी उन्होंने शिनाख्त की, जिस पर प्रदर्शक-8 डाला गया। साक्षी ने प्रति-परीक्षा में भी कहा कि "पीड़िता" के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। बाहरी भुजाये, पैर, पीछे छाती, स्तन व आन्तरिक भागों में कोई चोट के निशान नहीं थे। पी०डब्लू० 8 डा० नवीन जैन दिनांक 22-09-18 को जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद पर पैथोलाजिस्ट के पद पर तैनात थे। उनके द्वारा "पीड़िता" पुत्री राजेश कुमार निवासी प्रेमनगर सैलई थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद का वैजाइनल स्मीयर स्लाइड परीक्षण एवं ग्रेविंडेक्स टेस्ट किया था। परीक्षण में कोई भी शुक्राणु नहीं पाया गया एवं ग्रेविंडेक्स टेस्ट निगेटिव पाया गया। पैथोलाजी रिपोर्ट जिस पर उन्होंने अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, इस रिपोर्ट टेस्ट पर प्रदर्शक-11 अंकित किया गया। पी०डब्लू० 4 डा० शशिकान्त गुप्ता दिनांक 22-09-2018 को जिला अस्पताल फिरोजाबाद में बतौर रेडियोललाजिस्ट के पद पर कार्यरत थे। उस दिन उनके द्वारा "पीड़िता" पुत्री राजेश कुमार का एक्स-रे परीक्षण पुलिस के समक्ष किया था एवं अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण भी किया था। जिसे पुलिस लेकर आयी थी। "पीड़िता" को पुलिस थाना खैरगढ से लेकर आयी थी। महिला पुलिसकर्मी दो स्लिप साथ लेकर आई थी। "पीड़िता" के नाक पर एक काला तिल था। अल्ट्रासाउण्ड में "पीड़िता" गर्भवती नहीं पाई

गयी। दाहिनी कोहनी के जोड़ का एक्स-रे सभी हड्डियों के सिर अपनी अपनी हड्डियों से जुड़े हुए थे। बाये घुटने में जोड़ का एक्स-रे सभी हड्डियों के सिरे अपनी-अपनी हड्डियों से जुड़े हुए थे। दायी कलाई में जोड़ का एक्स-रे रोडियस एवं अलना हड्डी के सिरे अपनी-अपनी हड्डियों से जुड़े हुए थे। कूल्हे की हड्डी का एक्स-रे में हड्डी का सिरा अपनी हड्डी से नहीं जुड़ा था। कालर हड्डी के मध्य भाग का एक्स-रे में हड्डी का सिरा अपनी हड्डी से नहीं जुड़ा था। एक्स-रे रिपोर्ट उनके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी उनके द्वारा शिनाख्त की गयी और जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। "पीड़िता" का बोर्ड द्वारा उम्र निर्धारण के लिए बोर्ड गठित किया गया था। CMO साहब के साथ डा० शशिकान्त गुप्ता भी बोर्ड के सदस्य थे। बोर्ड द्वारा "पीड़िता" की आयु लगभग 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 8 अ/10 उम्र निर्धारण प्रमाण पत्र पर "पीड़िता" का दिहाने हाथ का अंगूठा निशानी लगवाया था। जिसको CMO द्वारा प्रमाणित किया था। उम्र निर्धारण प्रमाण पत्र साक्षी के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी उनके द्वारा शिनाख्त की गयी, जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। एक्स-रे प्लेटें पत्रावली पर 9 अ/1 लगायत 9 अ/3 के रूप में मौजूद हैं, जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श-1, वस्तु प्रदर्श-2 व वस्तु प्रदर्श-3 डाला गया। "पीड़िता" का अल्ट्रासाउण्ड उनके द्वारा किया गया था, जिसका अल्ट्रासाउण्ड फोटो पत्रावली पर कागज सं० 8 अ/13 है, फोटो अल्ट्रासाउण्ड पर वस्तु प्रदर्श-4 डाला गया। इस प्रकार मेडिकल रिपोर्ट चिकित्सक के बयान के आधार पर यह बात स्पष्ट है कि वैजाइनल स्मियर में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया। उसके आन्तरिक भाग पर कोई चोट के निशान नहीं थे। एपीफाइसिस जुड़े हुए थे। "पीड़िता" 18 वर्ष की आयु की पायी गयी। "पीड़िता" की आयु के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। "पीड़िता" के शरीर पर और आन्तरिक अथवा बाह्य शरीर पर किसी भी चोट का अभाव यह कदापि इंगित नहीं करता है कि "पीड़िता" के साथ बलात्संग नहीं किया गया। यदा-कदा "पीड़िता" ने भले ही इस आशय का कथन किया हो वह प्रेमवीर यादव को नहीं जानती है, किन्तु न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में "पीड़िता" ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रेमवीर यादव से उसकी जान पहचान पानी देने को लेकर हुई थी। उसने इस बात को स्वयं बताया कि उसके साथ बलात्संग की घटना घटित हुई थी और अभियुक्त प्रेमवीर यादव ने की थी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भले ही "पीड़िता" के साथ बलात्संग की पुष्टि न हुई हो, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी पी०डब्लू० 1 के बयान और "पीड़िता" के सम्पूर्ण बयानों के आलोक में यह बात सिद्ध है कि अभियुक्त प्रेमवीर यादव दिनांक 18-09-18 को "पीड़िता" के घर गया था, उस समय

"पीड़िता" के माता-पिता घर पर नहीं थे। "पीड़िता" को अपनी भाभी से मिलाने अभियुक्त ले गया किन्तु भाभी से न मिलाकर "पीड़िता" को गांव हलपुरा कट के पास बनी कोठरी में ले गया जहां पर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्संग किया था। बलात्संग के मामलों में साक्ष्यों की बहुलता कदापि आवश्यक नहीं है। मात्र "पीड़िता" के एकमात्र बयान के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, किन्तु शर्त यह है कि "पीड़िता" का साक्ष्य विद्यमान परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय का विश्वास जाग्रत करने वाला हो।

विवेचक श्री संजय कुमार रेड्डी पी०डब्लू० 6 द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी (site Plan) दिनांक 23-09-2018 को तैयार किया गया, जिसमें अक्षर "X" से वह स्थान दर्शाया गया, जहाँ पर "पीड़िता"/अभियोक्त्री से बलात्संग किया गया, उसके पास अभियुक्त का खेत भी दर्शाया गया है। अक्षर "M" से वह स्थान दर्शाया गया जहाँ पर अभियुक्त द्वारा मोटरसाइकिल खड़ी की गयी, ट्यूबवेल का स्थान यथा स्थान दर्शाया गया है। आस-पास खड़े पेड़ों और फसल को भी दर्शाया गया है। प्रथम दृष्टया वह स्थान सुनसान स्थान दर्शित होता है। "पीड़िता" ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्त का उसके साथ उसकी सम्मति के विरुद्ध उसके साथ बलात्संग किया गया।

धारा 114 क भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बलात्संग के सम्बन्ध में उपधारणा किये जाने के बाबत निम्न प्रावधान किये गये हैं-

"114 क. बलात्संग के लिये कुछ अभियोजनों में सम्मति न होने की उपधारणा- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में, जहाँ अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की सम्मति के बिना किया गया है जिससे बलात्संग किया जाना अभिकथित है और वह स्त्री, न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहाँ न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।"

दूसरे शब्दों में बलात्संग के अभियोजन में जहाँ अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता और प्रश्न यह उठता है कि क्या वह स्त्री की सम्मति के बिना किया गया है, जिससे बलात्संग किये जाने का अभिकथन और वह स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी, वहाँ न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं

दी थी। प्रस्तुत मामले में पीड़िता ने अपने साथ बलात्संग किया जाना अभिकथित किया है। बचाव पक्ष की ओर से मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि अभियोक्त्री/पीड़िता ने प्रति-परीक्षा में यह कहा कि वह हाजिर अदालत अभियुक्त को नहीं पहचानती है और वह पानी देने कभी नहीं आता था और उसे मोटरसाइकिल पर बैठा कर नहीं ले गया था। अभियोक्त्री का यह कथन कदापि अभियुक्त की निर्दोषिता को प्रमाणित नहीं करता है। अभियोक्त्री/पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा, धारा 161 द०प्र०सं०, बयान में तथा विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० में स्पष्ट रूप से अभियुक्त प्रेमवीर यादव द्वारा जबरजस्ती बलात्संग किये जाने का कथन बारम्बार किया है। उपरोक्त कतिपय विरोधाभासी कथानक अभियोजन कथानक की नींव को कमजोर नहीं कर सकता है और न करता है। धारा 114 क भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा यह उपधारणा करेगा कि पीड़िता/अभियोक्त्री ने संभोग के लिए सम्मति नहीं दी थी। उपरोक्त कथित विरोधाभासी कथन तात्त्विक रूप से अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था गुरुसू नागराजू बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य [2018 (104) ACC 711] (सुप्रीम कोर्ट) के प्रस्तर 13 निम्न आशय का अभिमत व्यक्त किया गया है कि-

13. Learned counsel for the appellant wanted to go through the entire evidence and he actually did it but could not point out any material contradiction or inconsistency in evidence. It is a well settled principle of criminal law that some minor contradiction or inconsistency in evidence cannot affect the material evidence and such contradiction or inconsistency cannot be made basis to discard the whole evidence as unreliable. It is much more so when the two Courts below took note of the said evidence and discarded it being wholly immaterial.

यत्र तत्र विरोधाभासी कथन अथवा अतारतम्यता सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाता है। अभियोजन साक्ष्यों से यह साबित है कि जब पीड़िता के पिता पी०डब्लू० 1 सांयकाल वापस आये तब बिना किसी विलम्ब के पीड़िता ने उनको घटनाक्रम से अवगत कराया और तत्काल बिना कोई अनुचित विलम्ब कारित किये हुए वादी पी०डब्लू० 1 ने अपने भाई से प्रार्थना पत्र लिखवाकर सम्बन्धित थाने पर दिया और उसी समय प्रथम सूचना

रिपोर्ट पंजीकृत कर ली गयी। विवेचना भी तत्काल अग्रसारित की गयी। अभियोक्त्री/पीड़िता के बयान का समर्थन उसके पिता के साक्ष्यों से भी होता है। अभियोजन कथानक में किसी भी प्रकार का कोई तात्त्विक विरोधाभास नहीं है। पीड़िता अनुसूचित जाति की सदस्य है। इससे भी बचाव पक्ष को इंकार नहीं है। अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा यह कहा गया कि अभियोजन कथानक गलत है और उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त को कदापि न तो झूठा फंसाया गया और ना ही अभियोजन कथानक गलत है। अभियुक्त अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं था और उसने पीड़िता की इच्छा शासित करते हुए उसके साथ उसकी सम्मति के बिना मैथुन किया। "पीड़िता" के और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त प्रेमवीर यादव द्वारा "पीड़िता" को मोटरसाइकिल पर ले जाकर ट्यूबवेल की कोठरी में उसके इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्संग किया गया। घटना के सम्बन्ध में "पीड़िता" द्वारा सांय काल में अपने पिता को बताया गया, जिसके उपरान्त पिता पी०डब्लू० 1 द्वारा थाने पर तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अभियोजन साक्षियों के बयानों में किसी प्रकार का कोई तात्त्विक विरोधाभास नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त प्रेमवीर यादव के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में विश्वसनीय और अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में न्यायालय का यह समाधान है कि अभियुक्त प्रेमवीर यादव द्वारा "पीड़िता" के साथ बलात्संग किया गया, जो कि एक जघन्य अपराध है तथा "पीड़िता" के न केवल शरीर को अपितु उसकी आत्मा को घोर आघात पहुँचाने वाला है। अभियोजन अभियुक्त प्रेमवीर यादव के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्त लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(V) अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, में दोषसिद्ध किये जाये योग्य है।

आदेश

अभियुक्त प्रेमवीर यादव को आरोप अंतर्गत धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त की जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा उसके जामीनदारों को दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त प्रेमवीर यादव को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 06.11.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति की "पीड़िता" के साथ बलात्संग जैसा गंभीर एवं जघन्य अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्त/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्त गरीब परिवार से हैं। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त परिवार के एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त द्वारा एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्संग किया गया और धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का प्रावधान है तथा धारा धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय कोई अपराध (किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूजित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है।) वह आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा। अतः मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्त का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

अभियुक्त प्रेमवीर यादव निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए आजीवन कारावास व मुव० 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(2)V अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 06 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं।

अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्त को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद को प्रेषित की जाये। अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

प्रस्तुत मामले में अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि "पीड़िता" को प्रदान की जायेगी।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 06.11.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 06.11.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193